

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 151/2023-24

दिनांक : 26.09.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दीपक मण्डल पुत्र स्व० श्री जितेन्द्र मण्डल,
जेल कैम्प रूद्रपुर महेन्द्रनगर नं० 03,
पो०-एस०ए०आई० कैम्प, सितारगंज।
बनाम

परिवादी

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री दीपक मण्डल पुत्र स्व० श्री जितेन्द्र मण्डल का एक शिकायती पत्र दिनांक 08.09.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-882J222157766 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल विगत 2017 से उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण जमा नहीं हो पाया। उसके उपरान्त 2021 से कोरोना काल में उनके साथ दुर्घटना होने की वजह से जो उनके पास धन था वह उनके इलाज में खर्च हो गया। अब वह काम-काज भी नहीं कर पा रहे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल (रु० 31269.00) को माफ कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 08.09.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 16.09.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.09.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.09.2023 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

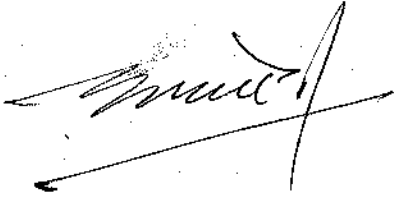
क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र दिनांक 26.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा वर्ष 2017 से अर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण विद्युत बिल माफ करने की अपील की गयी है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी द्वारा वर्ष 2017 से किसी भी विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है।

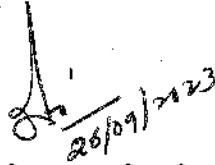
प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर यूनिट के बिल निर्गत किए जा रहे हैं तथा परिवादी द्वारा माह 08/2017 के उपरांत कोई भुगतान नहीं किया गया है। मीटर यूनिट के आधार पर निर्गत विद्युत बिलों को माफ करने का कोई प्रावधान/नियम उपलब्ध नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

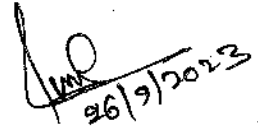
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य